राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र.:–एफ 6(146)ग्रावि/नरेगा/ग्रुप–3/2009 जयपुर, दिनांक: 18.09.09

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **अनुबन्ध पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के उपरांत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।**

महोदय,

आपको ज्ञात है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संविदा कार्मिक के स्थान पर नियमित राजकीय सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं। जिन संविदारत कार्यक्रम अधिकारियों की संविदा अनुबन्ध अवधि समाप्त हो गई है, उनमें से कतिपय कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा मा.उच्च न्यायालय से इस आशय का स्थगन आदेश प्राप्त किया है कि आगामी आदेश तक इनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाये।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर न्यायालय के अन्तरिम आदेश की पालनार्थ संबंधित संविदा कार्मिक की उपस्थिति न्यायालय के निर्णयाधीन बताये गये कार्यालय में कार्य हेतु ली जावे।

भवदीय

Sd.

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान को विकास अधिकारियों को सूचनार्थ।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(एनआरईजीएस) जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, (ईजीएस) जिला परिषद, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर में संविदारत कार्यक्रम अधिकारीयो के द्वारा दायर रिट याचिकाओ मे आप प्रभारी अधिकारी रहेगे।
8. श्री अंजनी कुमार नाग, अधिशाषी अभियंता, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायलय जयपुर में संविदारत कार्यक्रम अधिकारीयो के द्वारा दायर रिट याचिकाओ मे आप प्रभारी अधिकारी रहेगे।
9. अधिशाषी अभियंता(वी), कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

18/9/09
परियोजना निदेशक, ईजीएस